

RBE No.01/2017



CPO's SL. No. 22/2017

No. E/9/O/ECR/HJP

Dated:-09.03.2017

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपूर।
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, वानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूम.रे/हाजीपूर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूम.रे/हाजीपूर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपूर/हस्नौत।
8. Sr.DPO/पूमरे/ मुगलसराय, वानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9. उप. महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूम.रे/हाजीपूर।

विषय:- सातवें केन्द्रीय पेंशन आयोग की सिफारिश पर त्र्यहार अग्रिम को बंद करना-भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द.1, 1989 संस्करण के लिए शुद्धि पत्र।

संदर्भ:- Rly. Board's Lt. no. 2016/E(LL)/FA/1 Dated.09.02.2017

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance, and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(रवि कुमार पंडित)

सहाधि/ई.एस.एम. एवं रुडिमेंट  
हते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूम.रे/हाजीपूर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पूम.रे/हाजीपूर।
3. सहाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/हाजीपूर। कृपया इसी गेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूम.रे/हाजीपूर।

09/03/17  
लगातार

25326

02/03/17

RBE No 01/2017

14/12  
16/12/17  
01-3-2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)

(L)

No. 2016/E (LL)/FA/1

New Delhi, Dated: 09.1.2017

The General Managers,  
All Zonal Railways/Production Units, CORE, Metro Railway,  
The Director General, RDSO, Lucknow  
The Director General, RSC, Vadodara.  
The Director, IRICEN/ Pune, IRIEE/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur,  
IRISET, Secunderabad, IRITM, Lucknow.  
The Chairman, RRBs, Bhopal, Bangalore, Mumbai, Chandigarh, Chennai  
Patna, Muzaffarpur, Malda, Secunderabad, Ranchi, Kolkata, Gorakhpur.  
The Pay & Accounts Officer, Railway Board.

Sub: Discontinuance of Festival Advance on the recommendation of  
Seventh CPC - Correction slip to IREM, Vol. 1, 1989 Edition.

Based on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission,  
Festival Advance has been discontinued/ abolished vide Board's letter of  
even number dated 14.12.2016.

Advance Correction Slip No. 236 to Para 1125 and 1127 of the Indian  
Railway Establishment Manual-1 (Revised Edition 1989) is enclosed.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the  
Ministry of Railways.

(D.V. Rao)  
Director Estt. (LL)

मुकादि  
मुकाधि (MCAO)  
उप मुकाधि HRD  
वकाधि  
सकाधि  
विधि अधिकारी

CL: 03/Rand P

contd. 1

CPO  
FA & CAO

17/1/17

16/2/17

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आर.नी.ई.सं. 01/2017

सं. 2016/ई(एलएल)/एफए/1

नई दिल्ली, दिनांक: 09.01.2017

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां, कोर, मेट्रो रेल

महानिदेशक, अअमासं., लखनऊ

महानिदेशक, आरएससी, वडोदरा

निदेशक, इरिसेन/पुणे, ईरी/नासिक रोड, इरीमी/जामालपुर, एरिसेट/सिकंदरानाद, इरीएम, लखनऊ

अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, मुम्बई, चंडीगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, सिकंदरानाद, रांची, कोलकाता, मैंगलोर,  
गोरखपुर, भोपाल, चेन्नै.


वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेलवे बोर्ड.

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश पर त्थीहार अंशिम को बंद करना - भारतीय रेल  
स्थापना नियमावली, जिल्द.1, 1989 संस्करण के लिए शुद्धि पर्थी

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बोर्ड के दिनांक 14.12.2016 के सभासंख्यक  
पत्र द्वारा त्थीहार अंशिम बंद/समाप्त कर दिया गया है.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली-1 (संशोधित संस्करण 1989) के पैरा 1125 तथा 1127 के लिए  
अंशिम शुद्धि पर्थी सं. 236 संलग्न है.

इसे रेल मंत्रालय के विस्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

  
(डी.पी. राव)

निदेशक स्था.(एलएल)

Indian Railway Establishment Manual

Volume. I (Revised Edition – 1989)

Advance Correction Slip No. 236

Chapter XI

1125. Advance for Festivals:- Abolished.

1127. Deleted.

(Railway Board's letter No. 2016/ E (LL)/FA/L dated 14.12.2016).